बिहार सरकार
उद्योग विभाग,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

संoसंo–हoकo(10) निरीक्षण–1/2015

आदेश

मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना की स्वीकृति संकल्प संख्या 2005 दिo–20.04.12 द्वारा की गई है। जिसका कार्यान्वयन वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक किया जाना है। इसके तहत करघो का आधुनिकीकरण के अन्तर्गत 24,000 बुनकरों को, कर्मशाला निर्माण के तहत 8,000 बुनकरों को, मार्जिन मनी लाभ देने हेतु 24,000 बुनकरों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक करघों का आधुनिकीकरण के तहत कुल 1749 बुनकरों को ही दोनों किस्तों का लाभ उपलब्ध कराई गई है। कर्मशाला योजना के तहत मात्र 16 बुनकरों को दोनों किस्तों की राशि उपलब्ध कराई गई है। मार्जिन मनी के तहत कोई बुनकर लाभांवित नहीं हुआ।

उल्लेखनीय है कि मार्जिन मनी की राशि प्रत्येक बुनकर को 5,000 रूo बुनकर क्रेडिट कार्ड खाता में देना था। ऐसे पात्र बुनकरों का प्रस्ताव जिला से प्राप्त नहीं हो पाया है। इससे यह विदित होता है कि योजना का क्रियान्वयन संतोषजनक, रूप से नहीं हो पा रहा है। फलतः बड़ी संख्या में बुनकरों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।

योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु निम्न रूप से टीम का गठन किया जाता है।

(1)

टीम–A	जिला
श्री उमेश कुमार, उप उद्योग निदेशक श्री आशुतोष विनय कुमार, तकनीकी पर्यवेक्षक	गया, नालन्दा, बांका.
टीम–B	
श्री आशुतोष कुमार मिश्रा, उप उद्योग निदेशक श्री रामवृक्ष रविदास, पर्यवेक्षक	पटना, भागलपुर,
टीम–C	
श्री अशोक कुमार, सहायक उद्योग निदेशक मोo इश्तियाक अहमद,विपणन निरीक्षक	रोहतास, नवादा, औरगाबाद, मधुबनी, सिवान

तकनीकी पर्यवेक्षक को आवंटित कलस्टरः–

क्रo संo	नाम	कलस्टर	जिला
(i)	श्री कृष्णदेव रजक	कटोरिया, धोरैया	बांका
(ii)	श्री अब्दूल मन्नान	डुमरॉवा	बांका
(iii)	श्री श्री राम सिंह	चम्पानगर, खरीक	भागलपुर
(iv)	श्री मनोज पाठक	हुसैनाबाद, पीरपैंती	भागलपुर
(v)	श्री हेमन्त कुमार	नवीनगर, अम्बाकुटुम्बा	औरंगाबाद
(vi)	श्री रजनी कान्त रंजन	बिहारशरीफ, एकंगरसराय	नालन्दा
(vii)	श्री अशोक देव	मानपुर, चाकन्द	गया
(viii)	श्री ओम प्रकाश सिंह,	भौआरा	मधुबनी
(ix)	श्री उपेन्द्र कुo, वर्मा	अकोढ़ीगोला, कादिरगंज	रोहतास/नवादा
(x)	श्री धमेन्द्र गोड	जमालहाता,	सिवान
(xi)	श्री महेश कुमार	सिगोड़ी, फतुआ, नाथनगर	पटना, भागलपुर

तकनीकी पर्यवेक्षक के द्वारा किये जाने वाले जाँच के बिन्दु निम्नवत है।

(i) योजना के दिशा निर्देश के अनुसार कलस्टर की पंजी का संधारण की अध्यतन स्थिती।
(ii) राशि निकासी की तिथि, भुगतान की तिथि।
(iii) कलस्टर के तीन बुनकर प्रतिनिधि का नाम/पता।
(iv) चयन की बैठक की तिथि तथा कार्यवाही की प्रति।
(v) नये करघे क्रय करने एवं कर्मशाला निर्माण हेतु लाभुकों को मिलने वाले प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त की राशि बैंक खाता में उपलब्ध कराई गई है, इसका सत्यापन कार्यालय के अभिलेखों से ।
(vi) प्रथम किस्त मिलने वाले लाभुकों द्वारा नये करघे के अधिष्ठापन/कर्मशाला निर्माण का सत्यापन एवं द्वितीय किस्त की अनुशंसा।
(vii) करघों का आधुनिकरण तथा कर्मशाला निर्माण के दोनों किस्त प्राप्त करने वाले लाभुकों का सत्यापन ।
(viii) दिशा निर्देश के अनुसार करघों का आधुनिकरण, कर्मशाला निर्माण तथा कॉपर्स फंड हेतु नये आवेदन प्राप्त करना ।

टीम A, B, C, अपने जिला में प्रतिनियुक्त तकनीकी पर्यवेक्षक से उपरोक्त बिन्दुओं पर प्रतिवेदन प्राप्त कर सैम्पल स्थल निरीक्षण करेगी। यह टीम संबंधित कलस्टर में जाकर बुनकरों से वार्ता कर योजना के सफल कार्यान्वयन के संबंध में Feed back लेगें तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2015–16 (योजना का अन्तिम वर्ष) में योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें । तकनीकी पर्यवेक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन एवं स्थल निरीक्षण/सैम्पूल स्थल निरीक्षण के आधार पर 15 दिनों के अन्दर अपने मंतव्य एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 के लाभुकों की सूची के साथ प्रतिवेदन निदेशालय को समर्पित करेंगे।

2. श्री नाथेश्वर साह, सहायक उद्योग निदेशक (रे0) पटना, सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र की स्थापना के संबंध में नालन्दा नवादा, भागलपुर एवं बांका में भ्रमण कर जमीन उपलब्धता, प्रति CFC बुनकरों की संख्या आदि के साथ प्रतिवेदन देंगे।

विश्वासभाजन
निदेशक
हस्तकरघा एवं रेशम
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 629 दिनांक– 31-3-15

प्रतिलिपि– श्री उमेश कुमार, उप उद्योग निदेशक, श्री आशुतोष विनय कुमार, तकनीकी पर्यवेक्षक, श्री आशुतोष कुमार मिश्रा, उप उद्योग निदेशक, श्री रामवृक्ष रविदास, पर्यवेक्षक, श्री अशोक कुमार, सहायक उद्योग निदेशक, मो0 इश्तियाक अहमद, विपणन निरीक्षक, श्री कृष्णदेव रजक, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, भागलपुर/ श्री अब्दूल मन्नान, बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, झींगनगर, नालन्दा/ श्री श्री राम सिंह, बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, कांको जहानाबाद/ श्री मनोज पाठक, बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, चाकन्द, गया/ श्री हेमन्त कुमार, केन्द्रीय डिजाईन केन्द्र, राजेन्द्रनगर पटना/ श्री रजनी कान्त रंजन, उप विकास पदा0(वस्त्र) का कार्यालय, मुजफ्फरपुर/ श्री अशोक देव, तकनीकी पर्यवेक्षक, सहायक उद्योग निदेशक, (रेशम) पटना सम्प्रति प्रतिनियुक्त जिला उद्योग केन्द्र, बांका/ श्री ओम प्रकाश सिंह, बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, ओवरा, औरंगाबाद/ श्री उपेन्द्र कु0, वर्मा, उप विकास पदा0(वस्त्र) का कार्यालय, भागलपुर/ श्री धमेन्द्र गोड, बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, अमरपुर बांका/ श्री महेश कुमार, उप विकास पदा0(वस्त्र) का कार्यालय, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित/उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र), गया/भागलपुर/मुजफ्फरपुर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, पटना/नालन्दा/रोहतास/मधुबनी/ सिवान/ नवादा/ औरंगाबाद/ बांका, प्राचार्य बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
हस्तकरघा एवं रेशम
बिहार, पटना।